

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
तामील में जारी

~~अपरा 10th काग बुज किर~~


नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही इनीशियल्स

14.8.25 पनाबली पेश डई वकील प्रार्थी उपर उग्र

कामपु अग्र उग्र के कारण आरोप
नहीं हो सका। पनाबली वाले
आरोप दिनांक 4-9-2025 को पेश

दी

उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी (धोलपुर) राज.

4.9.25


पनाबली पेश डई वकील प्रार्थी उपर उग्र
कामपु के कारण आरोप नहीं हो सका।
पनाबली वाले आरोप दिनांक 25-9-2025 को
पेश दी

25-9-25

पनाबली पेश डई वकील प्रार्थी उपर 70 लाख
शुद्धावकषीन से पनाबली प्रार्थी आरोप अडकान
दिनांक 13-11-2025 को पेश दी

13.11.25

पनाबली पेश डई वकील प्रार्थी उपर। हमने पनाबली
का आवलोनन दिया। प्रार्थी का प्रार्थन पत्र वाप
थर शफखान कारखाने अधिनियम स्वीकार वेरप
पाने जाने से स्वीकार दिया जाया है तथा
आरोप दिनांक 17.11.2022 से जारी अन्तरिम
आवर्ष निवेद्याला को इल प्रकार संशोधित
कर ल. केशला काद संसुष्ट (confirm) दिया जाया


उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी (धोलपुर) राज.

आगत विद्वान् कर्तव्य कार्य

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही इनीशियल्स

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
हुक्म की तारीख
में जारी हुए

हि प्रमाणिका आपने मिली तब की आवाजी
की रदन, बैंग, दिवा करने के लिये खर्च
है परन्तु वह गैर आवाजी मुलगाण बाबत
किसी विशिष्ट अनु-भाग अथवा दिशा विशेष
का अनुमोद करके हुए रदन, बैंग, मुलखिल
नहीं कहे लया यदि कोई विवादित आवाजी
को क्रय का ल है तो वह आपकी कुल
विश्वित विभाग कर्तव्य आवाजी में प्रवेश
नहीं कर लयेगा। रिकॉर्ड में यथा लिखित
लगाये रखने सम्बन्धी कोई पावनी नहीं
रहेगी। विरालत ग्राम-लक्ष्य तथा पंजीकृत
वैपनामा ग्राम-लक्ष्य की कार्यवाही पर
कोई रोक नहीं रहेगी। आंक पर कोई भी
प्रकारत बिना सशक्त प्राधिकारी के आदेश
संपर्कित न के अधिक भूमि का अनुमोद
प्रमाणार्थ प्रमाण नहीं कले के पावक रहेगी।
प्रावली कुशल शुभार होकर नम्बर ले
कम होकर मिलन गुण वाद रहे।


उपखण्ड अधिकारी
बसेडी (धीलपुर) राज.

न्याया

उन्वान

क